

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(22)वित्त/कर/2018

जयपुर, दिनांक : 02.04.2018


नोटिस

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची प्रोवीजनल/अस्थाई आधार पर जारी की जा रही है। यदि किसी अधिकारी द्वारा इस सम्बंध में कोई अभ्यावेदन/आपत्ति आदि प्रस्तुत किये जाने हो तो दिनांक 17.04.2018 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा :-

क्र. सं.	नाम सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्मतिथि	वर्ग	आवृत्त वर्ष	विशेष विवरण
1	श्री के. एल. जैन	11.11.58		2015-2016	से.नि. नवम्बर 18
2	श्री मदनलाल मालवीय	01.08.59		2015-2016	से.नि. जुलाई 19
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	10.01.59		2015-2016	से.नि. जनवरी 19
4	श्री ओमकार सिंह आशिया	22.11.60		2016-2017	से.नि. नवम्बर 20
5	श्री शौकत अली	15.02.59		2016-2017	से.नि. फरवरी 19
6	श्री वाहिद अली	02.02.61		2016-2017	से.नि. फरवरी 21
7	श्री गिरधर गोपाल सिंघानिया	01.01.60		2017-2018	से.नि. दिसम्बर 19
8	श्री अविनाश चन्द्र त्रिवेदी	01.04.62		2017-2018	से.नि. मार्च 22
9	श्री चन्द्रसिंह दुग्गड़	15.09.61		2017-2018	से.नि. सितम्बर 21


यह वरिष्ठता सूची माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन डी0बी0 रिट पीटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से


(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्बंधित अधिकारी
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव